न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2021 (राजस्व अपील)
GCMS No. 2021/00003

अनवान

1. श्री लाला पिता दौला भील, निवासी उपलाफला खाण्ड़ीओवरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री बाबूलाल पिता पदमा भील, निवासी उपलाफला खाण्ड़ीओवरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल पिता दौला भील उर्फ श्री कन्हैयालाल पिता कचरा भील, निवासी उपलाफला खाण्ड़ीओवरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री सत्यप्रकाश व्यास, अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2. श्री कन्हैयालाल पिता दौला भील, रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता

अपील अंतर्गत धारा 225, राजस्थान भू काश्तकारी अधिनियम, 1955
अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक लो.अ./75/2018 तहसीलदार खेरवाड़ा,
प्रकरण संख्या 01/2018 निर्णय दिंनाक 23.05.2018

* निर्णय *

दिनांक— 08-09-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध तहसीलदार खेरवाड़ा प्रकरण संख्या 01/2018 मे पारित आदेश क्रमांक लो.अ./75/2018 दिनांक 23.05.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत् 2031 मे राजस्व ग्राम उपलाफला, पटवार हल्का खाण्ड़ी ओवरी, तहसील खेरवाड़ा मे कचरा पिता नाथा का एक तनहा खाता संख्या 10 मे 13 आराजीयात 4 बीघा 17 बिस्वा और दौला पिता लखमा के साथ एक शामलाती खाता संख्या 11 मे 3 आराजीयात का रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा दर्ज थी। अपीलार्थी संख्या 1 दौला पिता लखमा का पुत्र एवं अपीलार्थी स[illegible]ला पिता लखमा के पुत्र पद्मा का एकमात्र पुत्र हैं। खाता संख्या 11 मे उक्त दोनों का [illegible] 2–1/2 हिस्सा था। नवम्बर 1974 के आस पास कचरा का देहान्त हो गया एवं कचरा पिता नाथा की विरासत उसकी बेवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:23 IST
Reason: SelfAttested

धुली के नाम फैसल करने का नामान्तरकरण संख्या 41 ग्राम पंचायत खाण्ड़ीओवरी ने दिनांक 23.11.1974 को निर्णित किया। धुली बेवा कचरा द्वारा दिनांक 08.08.1977 को कन्हैयालाल पिता दौला को पंजीकृत गोदनामा से गोद लेने की रिपोर्ट पर कन्हैयालाल पिता दौला की वल्दियत बदल जाने से नये नाम कन्हैयालाल पिता कचरा के नाम से एक नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 02.11.1977 को निर्णित किया गया। नवम्बर 1978 के आस पास दौला का देहान्त हो गया। दौला पिता लखमा के देहान्त के समय उसके चार अलग–अलग खाता संख्या 47, 48, 49 एवं 66 मे दर्ज आराजीयात दिनांक 25.11.1978 को एक नामान्तरकरण संख्या 128 निर्णित किया गया। उक्त नामान्तरकरण से दौला की विरासत उसके पुत्र कन्हैयालाल, पद्मा, नाना एवं लाला के नाम निर्णित की गई, जबकि कन्हैयालाल तो कचरा के गोद चला गया और उसका जन्म के मूल परिवार से हमेशा के लिये नाता टूट गया था, इसलिये उसका नाम नामान्तरकरण मे नहीं आना चाहिये था। इसी नामान्तरकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम दर्ज हो जाने का फायदा उठाकर अपीलान्ट्स की सहमति न होने के बावजूद उनकी सहमति होना बताकर धोखे से अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर करा कथित आराजीयात का विभाजन कर एकतरफा आदेश प्राप्त कर लिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलान्ट्स को सुने बिना एकतरफा आदेश पारित कर दिया। उक्त निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के सर्वथा विपरित होने से अपास्त होने योग्य हैं। गोद जाने वाले व्यक्ति का अपने जायन्दा पिता की जायदाद मे हमेशा के लिये तमाम हित और अधिकार समाप्त हो जाते हैं। गोद चले जाने से विपक्षी संख्या 1 कन्हैयालाल श्री कचरा का वारिस बन गया। इसके आधार पर उनकी बदली हुई वल्दियत का नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 02.11.1977 को निर्णित किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दौला का पुत्र मानकर निर्णित आक्षेपित विभाजन विधि विरूद्ध कार्यवाही हैं। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण मे सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण मे सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट्स अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रांरभ करते हुए अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने अपनी अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अनुरोध किया कि तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा पारित कथित विभाजन का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। श्री कन्हैयालाल की वल्दियत दौला की वल्दियत कचरा को गोद चले जाने से बदल चुकी हैं। ऐसी स्थिति मे दौला की सम्पत्ति मे उसका कोई अधिकार निहित नहीं रहता हैं। हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Purohit
Date: 2021.10.05 11:45:23 IST
Reason: SelfAttested

दत्तक के परिणाम मे भी उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा निर्णित विभाजन प्रकरण न्याय नियम एवं विधि विपरीत होने से निरस्त किया जावें।

विपक्षी संख्या 1 श्री कन्हैयालाल पिता दौला द्वारा उपस्थित हो अनुरोध किया कि कथित आराजी का विपक्षी संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार है एवं सहखातेदारों द्वारा सहमति दिये जाने से ही भूमि का सहमति स्वरूप विभाजन हुआ है। पत्रावली पर सहमति स्वरूप अन्य सहखातेदारों के हस्ताक्षर मौजुद है। ऐसी स्थिति मे आपसी सहमति से हुये बंटवाड़े को चुनौती देने की कोई अधिकारिता अपीलान्ट्स को नही है। वर्तमान मे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार सभी खातेदार अपनी अपनी भूमि पर हिस्से अनुसार काबिज है। अतः अपील अपीलान्ट्स सव्यय खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अनुरोध किया कि राजस्व ग्राम उपलाफला, खाण्ड़ीओवरी, तहसील खेरवाड़ा के खाता संख्या 13 के आपसी सहमति से बटवाड़ा हेतु अनुरोध करने पर तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा विधिवत प्रकरण संख्या 01/2018 दर्ज कर एवं बाद सुनवाई दिनांक 23.05.2018 को पूर्णतया नियमानुसार कथित आदेश पारित किया है।

प्रकरण मे उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अन्य दस्तावेज आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा से प्राप्त पत्रावली संख्या 01/2018 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम उपलाफला खाण्डी ओवरी, तहसील खेरवाड़ा के खाता संख्या 13 के सहमति से विभाजन हेतु लोक अदालत केम्प मे सहखातेदारान द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार प्रकरण संख्या 01/2018 दर्ज कर नियमानुसार बाद सुनवाई आदेश क्रमांक लो.अ./75 दिनांक 23.05.2018 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा पारित किया गया है। कथित प्रार्थना पत्र एवं न्यायालय की आदेशिका पर भी अपीलान्ट्स के स्वयं के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर मौजुद है। ऐसी स्थिति मे उक्त निर्णय के लगभग 3 वर्ष पश्चात धोखे से हस्ताक्षर करवाना आदि अपीलान्ट्स के कथन स्वीकार योग्य नही माने जा सकते है। वक्त आदेश भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1, अपीलान्ट्स एवं अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रेकर्ड थी एवं आपसी सहमति स्वरूप बटवाड़ा होने से कथित आदेश मे किसी प्रकार की त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित नही होती है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा पारित उक्त निर्णय का यथावत रखा जाना हम उचित समझते है।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार की जाकर मौजा उपलाफला खाण्ड़ीओवरी, तहसील खेरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:23 IST
Reason: SelfAttested

के खाता संख्या 13 का अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा पारित विभाजन निर्णय दिनांक 23.05.2018 को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:23 IST
Reason: SelfAttested